

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

दुरभाष एवं फैसलेनबर- 01592 - 235475 / 235474 E-mail | id : drsnehaljain@gmail.com

कमाक - जिलाइ / पार / झुंझुनू / मान्यता / 2012 / 853
प्रबन्धक

दिनांक - 30/10/11

बिरला शिशु विहार विहार पिलानी, बाईंचौथ

विषय - नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रतोजन के लिए
नि शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के द्वा नियम (4) के अधीन
विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

प्राप्ति/महोदया

19/10/11

आपके दिनांक-23 फरवरी 2012 के आदेदन और इस संबंध में विधालय को साथ पश्चात्कर्ता
पत्राधार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से 9/4/10
(माध्यम) को दिनांक सत्र 2012 से दिनांक 31/3/13 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए बंधा है। से कक्षा 8
उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित भर्ती को पूरा किए जाने के अध्याधीन है-

- 1 मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संवधान के लिए
कोई बाध्यता विद्युत नहीं है।
- 2 ग्राम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्यक्ष 1) और नि शुल्क एवं अनिवार्य^{ग्राम शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाध्यक्ष 2)} के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3 विधालय कक्षा 1 से उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-इडैस के हमजोर छोड़ और
उसका पर रामुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उहाँ नि शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा
ही जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 प्रेस 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया
जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी/विधालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक था उसको माता पिता या
सरकार को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6 विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा
प्रवेश जन्म रथ्म जाति या इनमें इसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरकर्ता ढाहा गया
है।

विधालय सुनिश्चित करेगा कि-

- (i) उपलब्ध गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक दिसाई कक्षा में अनुरूपीण
किया जायेगा। या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ii) किसी भी बालकों शारीरिक टण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई शोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने तो अपेक्षा नहीं की
जायेगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकाधित किए अनुसार एक प्रमाण
पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चिताता प्रस्तु/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों ता समावेश किया
जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती
है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं, पाठ्य
वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अंजित करेगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन फरजा।
- (viii) अध्यापक रवाय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करें।

~~PRINCIPAL~~
BIRLA SHISHU VIHAR
PILANI (RAJ)

6
Manager
Birla Shishu Vihar
Pilani - 333031 (Rajasthan)
CBSE Affn. No. : 1730263

- 8 विधातय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाद्य धर्थों के आधार पर पाद्यकन का पालन करेगा।
- 9 विधातय अधिनियम की धारा-19 में अधिकाधित, विधातय में उपलब्ध प्रसुविधाओं तो अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विधातय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सानियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
- कुल निर्मित सांत्र
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड-ट्रै-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री / कीड़ा खेलकुद उक्सरों/पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विधातय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता नाप्त कक्षाएँ नहीं घलाई जायेंगी।
- 12 विधातय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केंद्रल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजनों को लिए किया जाता है।
- 13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा घोलाया जा रहा है।
- 14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किसी अन्य व्यष्टियों के लाभ के लिए नहीं घोलाया जा रहा है।
- 15 विधालय के लेखाओं के घाटड अकाउन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उद्यित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) छुन्छुनू को भेजी जानी चाहीए।
- 16 आपके विधालय को आवाटित मान्यता कोड सख्त्याक... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निवेशावधि प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) छुन्छुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।
- 19 सलाम उपाध्य- ॥। के अनुसार अन्य कोई शर्त
20. R.T.E 2009 के समस्त मापदण्डों की घोषी उन्वशम लगें।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, छुन्छुनू

